पत्रांक 12/चक0या0–(पु0वाद)–19/2008......1367/चक0

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(चकबंदी निदेशालय)

प्रेषक,

व्यास जी,
निदेशक, चकबंदी।

सेवा में,

सभी संयुक्त निदेशक, चकबंदी,
सभी उप निदेशक, चकबंदी,
सहायक निदेशक, चकबंदी, भागलपुर,
सभी चकबंदी पदाधिकारी।

निबंधित

पटना, दिनांक 17.12.2013

विषय :– निदेशक, चकबंदी/संयुक्त निदेशक, चकबंदी के पुनरीक्षण न्यायालयों सहित अपीलीय न्यायालय एवं चकबंदी पदाधिकारी के न्यायालय द्वारा पारित आदेशों में तरमीम की कार्रवाई करने के संबंध में।

प्रसंग :– चकबंदी निदेशालय का पत्रांक 842/चक0 दिनांक 14.09.2007.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना है कि निदेशक, चकबंदी/संयुक्त निदेशक, चकबंदी के पुनरीक्षण न्यायालय/अपीलीय न्यायालयों एवं चकबंदी पदाधिकारी के न्यायालय में पारित आदेशों का तरमीम चकबंदी पदाधिकारी के स्तर पर लम्बित रहने का मामला प्रकाश में आया है, जो न्यायालय आदेश के अनुपालन एवं पक्षकारों के हित के विपरीत है। इस कारण पक्षकारों द्वारा अनावश्यक रूप से तरमीम हेतु न्यायालय में वाद दायर किये जा रहे हैं। पूर्व में निर्गत प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न है। पुनः चकबंदी न्यायालयों के पारित आदेश के अनुपालन हेतु निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं :–

1. पुनरीक्षण न्यायालय/अपीलीय न्यायालय/चकबंदी पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश के पश्चात् जो वाद तरमीम हेतु लंबित हैं उसे तरमीम कराकर एक पक्ष के अन्दर निष्पादन प्रतिवेदन निदेशालय को भेजा जाय, साथ ही प्रत्येक माह की मासिक बैठक में तरमीम प्रतिवेदन के साथ उपस्थित होना भी सुनिश्चित किया जाय।

2. यह भी सुनिश्चित किया जाय कि पुनरीक्षण न्यायालय/अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर तरमीम किया जाय एवं चकबंदी पदाधिकारियों के न्यायालय द्वारा पारित आदेश का तरमीम एक सप्ताह के अन्दर करना सुनिश्चित किया जाय।

3. यदि किसी मामले में पारित पुराने आदेश की प्रति अनुपालनार्थ प्रस्तुत की जाती है, तो ऐसे आदेशों की सम्पुष्टि/सत्यापन संबंधित न्यायालय से करा लिया जाय तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित आदेश पारित होने के पश्चात् किसी अन्य वरीय न्यायालय से कोई स्थगन आदेश अथवा कोई भिन्न आदेश पारित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति नहीं हो तो भी यदि अनुपालन की दिशा में कोई व्यवधान या अड़चन सामने आ रही है तो निदेशालय के समक्ष सम्पूर्ण तथ्यों के साथ मामलों को संसूचित किया जाय, ताकि विधिसंगत अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
निदेशक, चकबंदी।